इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 443] भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 अगस्त 2017—श्रावण 18, शक 1939

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2017

क्र. एफ 5-1-2017-बाईस-पं-1.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 69 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्तें) नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित, मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 1 मई 2017 को पूर्व प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"7. **अनुशासन तथा नियंत्रण.**—ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध निम्नलिखित दशाओं में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी:—

(1) ग्राम पंचायत सचिव को सेवा से स्वत: ही पृथक् माना जाएगा यदि उसे किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो.

(2) ग्राम पंचायत सचिव को सात दिन की कारण बताओ सूचना तथा सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् निम्नलिखित शर्तों के अधीन दंडित किया जाएगा:—

(क) वित्तीय अनियमितता करने, गबन करने या पंचायत राज संस्था या सरकार को वित्तीय हानि कारित करने पर;

(ख) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) के उपबंधों के अधीन उसे दण्डित किया गया हो अथवा उसके विरुद्ध किसी राशि की वसूली का आदेश पारित किया गया हो;

(ग) कर्तव्य से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की दशा में;

(घ) अमर्यादित आचरण करने की दशा में;

(ङ) ग्राम सभा द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पास होने की दशा में कि सचिव अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाही बरतता है या वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित रीति में नहीं करता;

(च) गंभीर अनुशासनहीनता के आचरण की दशा में;

(3) निम्नलिखित दण्डों में से लिखित आख्यापक आदेश पारित करके कोई उचित दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा:—

(क) सेवा समाप्त करना; अथवा

(ख) वेतनवृद्धि रोकना; अथवा

(ग) पंचायत/राज्य सरकार को हुई हानि की राशि की वसूली करना; अथवा

(घ) अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को अकार्य दिन (dies-non) अथवा अवैतनिक घोषित करना,

(4) जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा. दण्ड अधिरोपित करने वाले आदेश की दिनांक से 15 दिवस के भीतर, आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय के समक्ष, अपील प्रस्तुत की जा सकेगी.

(5) अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के प्रयोजन के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएगा,—

(क) सुनवाई के लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू होंगे.

(ख) संबंधित ग्राम पंचायत सचिव को प्रमाणित साक्ष्यों का अवलोकन कराया जाएगा.

(ग) उपरोक्त उपनियम (2) के अधीन सूचना जारी करने के दिनांक से दो मास के भीतर समस्त कार्यवाही पूरी की जाएगी.".

No F-5-1-2017/XXII/P-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (1) of Section 69 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Panchayat Service (Gram Panchayat Secretary Recruitment and Condition of Service) Rules, 2011, which has been previously published in the Madhya Pradesh Gazette dated 1st May, 2017, as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:—

"7. **Discipline and Control**.—Disciplinary action against Gram Panchayat Secretary shall be taken under the following circumstances:—

(1) The Gram Panchayat Secretary shall be deemed to have been automatically terminated from services if he has been convicted by the court for any offence of moral turpitude.

(2) The Gram Panchayat Secretary, after giving seven days Show Cause notice and after giving him opprotunity of being heard, shall be punished under the following conditions:—

(a) doing financial irregularity, embezzlement or causing financial loss to the Panchayat Raj institution or government;

(b) he has been punished or any order has been passed against him for recovery of any amount under the provisions of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994);

(c) In case he is continuous unauthorized absent from duty;

(d) in case he misbehaves;

(e) in case the resolution has been passed by the Gram Sabha to the effect that the Secretary negligently performs his duties or he does not discharge the duties properly;

(f) in case he behaves seriously undisciplined manner.

(3) Any proper punishment out of the following punishments, may be imposed by passing the speaking order in writing:—

(a) termination of Service; or

(b) withholding of increment; or

(c) recovering the amount of loss caused to Panchayat/State Government; or

(d) the period of unauthorized absence to be daclared dies-non or without pay.

(4) The Chief Executive Officer of Zila Panchayat shall be the competent authority for taking disciplinary action. The appeal may be filed before the Commissioner, Panchayat Raj Sanchalnalay within 15 days from the date of order of imposing punishment.

(5) For the purpose of taking disciplinary action, the following conditions shall be following by the Competent Authority,—

(a) Principles of Natural Justice for hearing shall be applicable;

(b) The certified proof shall be shown to the concerned Secretary of Gram Panchayat;

(c) All proceedings shall have to be completed within two months from the date of issuing the notice under sub-rule (2) above.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. चौधरी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.